

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं० संख्या - 15/औ०-02-71/2013...../स्वा०, दिनांक-

श्री मनोज कुमार दास, औषधि निरीक्षक, गया जिन्हें दिनांक-17.01.2012 को गया में छापाकारी के दौरान अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के आरोप में विभागीय ज्ञापांक-731(15) दिनांक-02.07.2013 के द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प संख्या-1026(15) दिनांक-11.09.2013 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी। विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी के द्वारा उक्त आरोपों को प्रमाणित नहीं किया है और वरीय पुलिस अधीक्षक, गया ने भी अपने पत्रांक-6577 दिनांक-21.12.14 के द्वारा उन्हें निर्दोष पाया है। अतः सम्यक समीक्षोपरांत श्री मनोज कुमार दास को उक्त निलम्बन से मुक्त करत हुए निर्दोष प्रमाणित किया जाता है।

2. श्री मनोज कुमार दास को निलम्बन अवधि के वेतन के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा।
3. श्री मनोज कुमार दास निलम्बन मुक्त होने के पश्चात् पदस्थापन के बिन्दु पर अलग से निर्णय लिया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-.....75(15)...../स्वा०, पटना, दिनांक-.....20/1/15.....
प्रतिलिपि:-प्रभारी राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आइ० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित। ✓

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।